[2022] 16 एस. सी. आर. 259

भारत का संघ

वी.

अलपन बंद्योपाध्याय

(2022 की सिविल अपील संख्या 197)

06 जनवरी, 2022

[ए. एम. खानविलकर और सी. टी. रविकुमार, जे. जे.]

प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985: एसएस। 19 , 25 - अध्यक्ष की मामलों को एक पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरित करने की शक्ति-उच्च न्यायालय द्वारा दूसरे उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले न्यायाधिकरण द्वारा पारित स्थानांतरण के आदेश को दरकिनार करते हुए-रखरखाव/रखरखाव

आदेश की स्थिरता-आदेश पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति कला के तहत स्थानांतरण। 226/227 संविधान का-तब उत्तरदाता

पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्य सचिव ने यू/एस आवेदन दायर किया। 19 न्यायाधिकरण के समक्ष, कोलकाता पीठ ने अनुशासन को चुनौती दी

समीक्षा बैठक में भाग लेने में विफलता का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही-विचाराधीन, अपीलकर्ता-यू. ओ. आई. ने प्रधान पीठ, दिल्ली के समक्ष मामले को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग करते हुए धारा 25 के तहत याचिका दायर की-स्थानांतरण याचिका की अनुमति-प्रत्यर्थी द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती-उच्च न्यायालय

न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी करते हुए प्रधान पीठ, दिल्ली द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः मूल को स्थानांतरित करने के आदेश की न्यायिक समीक्षा की शक्ति

न्यायाधिकरण की एक पीठ के समक्ष एक अन्य पीठ के लिए लंबित आवेदन यू/एस। 25 न्यायिक रूप से केवल उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा समीक्षा की जा सकती है जिसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर पीठ पारित करती है।

उसी प्रकार-उच्च न्यायालय की खंड पीठ के पास किसी अन्य उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को दरकिनार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है-किसी न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय (अधिनियम की धारा 25 के तहत) की जांच केवल एक उच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है जिसकी न्यायाधिकरण पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है।

इसके अलावा, प्रधान पीठ के खिलाफ तीखी और अपमानजनक टिप्पणी और टिप्पणियां करने के लिए कोई असाधारण आधार मौजूद नहीं है।

न्यायाधिकरण का, इस प्रकार, निष्कासन के लिए उत्तरदायी-कलकत्ता में उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और अंतिम आदेश को अधिकार क्षेत्र के बिना पारित माना जाना है और यह शुरू से ही अमान्य है, और इसे दरकिनार कर दिया गया है-केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1987 - आरआर। 6 , आर. 4 (5) (क) और (ख)-भारत का संविधान, कला।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 . एक बार जब उच्च न्यायालय ने पाया कि आदेश प्रधान पीठ द्वारा पारित किया गया है, तो उच्च न्यायालय को

सबसे पहले, न्यायाधिकरण, कोलकाता पीठ के समक्ष आवेदन के लिए कार्रवाई के कारण का गठन करने वाले तथ्यों के बंडल के संदर्भ के बिना, आदेश पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने या सही परिप्रेक्ष्य में हस्तांतरण करने के लिए अपने स्वयं के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का निर्णय करने के लिए अपने विचार को सीमित कर दिया है, जो प्रक्रिया नियमों के नियम 6 (2) में निर्दिष्ट कार्रवाई के कारण पर स्थापित है जो ओ. ए. दाखिल करने का स्थान तय करता है। [पैरा 15] [274-ए-सी]

1.2 किसी भी शिकायत के निवारण के लिए अधिनियम की धारा 19 के तहत मूल आवेदन दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण और

उस पीठ से ऐसे आवेदन के हस्तांतरण के आदेश को चुनौती देने के लिए कार्रवाई का कारण जहां यह दायर किया गया था और लंबित था,

एक और बेंच अलग और अलग है। [पैरा 6] [265-एफ-जी]

1.3 एल. चंद्र कुमार बनाम में निर्धारित डिकटम। भारत संघ के मामले का अर्थ स्पष्ट किया गया है कि न्यायाधिकरणों के सभी निर्णय होंगे

उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष जांच के अधीन, जिसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में विशेष न्यायाधिकरण आता है। उक्त मुद्दे पर आगे कोई व्याख्या की अनुमति नहीं है। संविधान पीठ द्वारा घोषित कानून पर कम कोरम वाली पीठ या उच्च न्यायालयों द्वारा पुनर्विचार नहीं किया जा सकता है। [पैरा 16] [276-बी-एफ]

1.4 न्यायाधिकरण की पीठ के समक्ष लंबित मूल आवेदन को स्थानांतरित करने के आदेश की न्यायिक समीक्षा की शक्ति

1.5 इस मामले में उनके खिलाफ तीखी और अपमानजनक टिप्पणी और टिप्पणियां करने के लिए कोई असाधारण आधार मौजूद नहीं है। न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ। [पैरा 8] [269-एफ-जी] भारत संघ बनाम।

अलपन बंद्योपाध्याय

1.6 तदनुसार, विवादित निर्णय और अंतिम आदेश पारित किया गया

कलकत्ता में उच्च न्यायालय द्वारा अधिकारिता के बिना पारित किए जाने के रूप में माना जाना है और इसलिए, यह शुरू से ही शून्य है। विवादित निर्णय को दरकिनार कर दिया गया। [पैरा 18] [277-एफ-जी]

261 [1997] 2 इसके बाद एस. सी. आर. 1186 आया। भावेश मोतियानी बनाम। भारत संघ 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन

डेल 11541-स्वीकृत।

कुसुम इंगोट्स एंड अलॉयज लिमिटेड v. भारत संघ और

एन. आर. (2004) 6 एससीसी 254: [2004] 1 पूरक। एससीआर 841; नवल किशोर शर्मा बनाम। भारत संघ और अन्य। (2014)

9 एससीसी 329: [2014] 7 एस. सी. आर. 1027; नवीनचंद्र एन.

मजीठिया बनाम. महाराष्ट्र राज्य और अन्य। (2000) 7 एससीसी

640 [2000] 3 पूरक। एस. सी. आर. 82-लागू नहीं होता है।

भारत संघ बनाम। ए शैनामोल (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी

962 ; जे. के. इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ (2007) 13

एससीसी 673: [2007] 12 एस. सी. आर. 136-संदर्भित।

ब्रज किशोर ठाकुर बनाम। भारत संघ (1997) 4 एससीसी

65 : [1997] 2 एस. सी. आर. 420-पर निर्भर था।

मामला कानून संदर्भ

[2007] 12 एससीआर 136

पै

रा 7

संदर्भित किया गया है

[1997] 2 एससीआर 420

उस पर भरोसा करें

पैरा 8

[2004] 1 पूरक। एससीआर 841

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 10

[2014] 7 एससीआर 1027

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 11

अप्रयोज्य रखा गया

[2000] 3 पूरक। एससीआर 82

पै

रा 11

[1997] 2 एससीआर 1186

पीछा किया।

पै

रा 16

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 197

2022 .

उच्च न्यायालय के 29.10.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2021 की सं. 78 में कलकत्ता का।

तुषार मेहता, एसजी, विक्रमजीत बनर्जी, एएसजी, के. एम. नटराज, सुश्री.

कानू अग्रवाल, सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, सुश्री श्रुति अग्रवाल, अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

2] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, श्याम दीवान, अभ्रतोश मजूमदार, अभय बेहरा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , देबंजन मंडल, कुणाल वाजानी, सौम्या

मजूमदार, संदीप दासगुप्ता, शुभंकर नाग, विक्टर चटर्जी, अमित भंडारी, सुश्री सनम त्रिपाठी, साकिब सिद्दीकी, कार्तिकेय भट्ट,

सुश्री महिमा हैजा, गोकुला कृष्णन, कुणाल मिमानी, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सी. टी. रविकुमार जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. इस मामले में एक कानूनी पहेली के समाधान की आवश्यकता है। इसे बनाने वाला मौलिक प्रश्न हैः ' क्या तथ्यों का बंडल जो गठन करता है

3. अपीलार्थी डब्ल्यू. पी. सी. टी. No.78/2021 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 29.10.2021 के अंतिम निर्णय और आदेश पर हमला करता है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ (नई दिल्ली) द्वारा P.T.No.215/2021 में पारित दिनांक 22.10.2021 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें प्रतिवादी द्वारा दायर O.A.No.1619/2021 को कोलकाता पीठ से प्रधान पीठ (नई दिल्ली) में अपनी फाइलों में स्थानांतरित कर दिया गया। दिल्ली)। वास्तव में, अधिनियम की धारा 25 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायाधिकरण के अध्यक्ष द्वारा P.T.No.215/2021 में आदेश पारित किया गया था। इसमें प्रतिवादी, जो पश्चिम बंगाल राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव थे (एक आई. ए. एस. अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद से), ने दायर किया

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की कोलकाता पीठ के समक्ष उनके खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को चुनौती देते हुए दिनांकित आरोप ज्ञापन के माध्यम से 16.06.2021 भारत के माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक में भाग लेने में विफलता का आरोप लगाते हुए 28.05.2021 पर जान-माल के नुकसान का आकलन करने के लिए और

चक्रवाती तूफान 'यास' के कारण बुनियादी ढांचा। उन पर पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखने में विफलता का आरोप लगाया गया था।

अलपन बंद्योपाध्याय [सी. टी. रविकुमार, जे.]

और लोक सेवक के अनुचित आचरण का प्रदर्शन करने के लिए। उक्त ओ. ए. पर विचार किए जाने तक अपीलार्थी ने नई दिल्ली में न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ के समक्ष अधिनियम की धारा 25 के तहत एक स्थानांतरण याचिका दायर की, जिसमें इसे कोलकाता पीठ से प्रधान पीठ में स्थानांतरित करने की मांग की गई। उस याचिका को प्रधान पीठ में बैठे न्यायाधिकरण के अध्यक्ष द्वारा अनुमति दी गई थी और जिसकी चुनौती के कारण अंततः उच्च न्यायालय द्वारा विवादित अंतिम निर्णय और दिनांक 1 का आदेश पारित किया गया था। चूँकि हम विचार को केवल इस प्रश्न पर सीमित कर रहे हैं कि किस क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है जैसा कि P.T.No.215/2021 में पारित स्थानांतरण के आदेश से संबंधित है, इसलिए अनुशासनात्मक कार्यवाही को चुनौती देने के लिए उल्लिखित O. A. में उठाए गए विभिन्न तर्कों और इसके समक्ष उठाए गए तर्कों का विस्तार से उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

स्थानांतरण के कथित आदेश की शुद्धता को चुनौती देने के लिए डब्ल्यू. पी. सी. टी. No.78/2021 में उच्च न्यायालय। यदि कलकत्ता में उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 25 के तहत पारित P.T.No.215/2021 में आदेश के खिलाफ चुनौती को स्वीकार करने के लिए अधिकार क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, तो गुण-दोष पर उच्च न्यायालय के निर्णय की शुद्धता या अन्यथा पर विचार करना अयोग्य हो जाएगा।

4. इस अपील पर उचित रूप से विचार करने के लिए, केवल अधिनियम की धारा 25 और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1987 के नियम 6 (संक्षिप्तता के लिए, 'प्रक्रिया नियम') का उल्लेख करना उचित है। वे इस प्रकार पढ़ते हैं: -

" प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 25: 25. अध्यक्ष की मामलों को एक पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरित करने की शक्ति। - किसी भी पक्ष के आवेदन पर और पक्षकारों को नोटिस देने के बाद, और उनमें से ऐसी बातों को सुनने के बाद जो वह सुनना चाहते हैं, या बिना किसी नोटिस के अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, अध्यक्ष एक पीठ के समक्ष लंबित किसी भी मामले को निपटान के लिए किसी अन्य पीठ को स्थानांतरित कर सकता है।

" केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमों का नियम 6,

1987 :

6. आवेदन जमा करने का स्थान। - (1) एक आवेदन आम तौर पर एक आवेदक द्वारा पीठ के पंजीयक के पास दायर किया जाएगा।

जिसका अधिकार क्षेत्र

(i) आवेदक को कुछ समय के लिए तैनात किया गया है, या [2022] 16 एस. सी. आर.

((ii) कार्रवाई का कारण, पूरी तरह से या आंशिक रूप से, उत्पन्न हो गया है;

बशर्ते कि अध्यक्ष की अनुमति के साथ आवेदन कर सकता है

प्रधान न्यायपीठ के पंजीयक के पास दायर किया जाए और धारा 25 के तहत आदेशों के अधीन, ऐसे आवेदन की सुनवाई और निपटान उस न्यायपीठ द्वारा किया जाएगा जिसकी मामले पर अधिकारिता है।

(2) उप-नियम (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जो व्यक्ति सेवानिवृत्ति, बर्खास्तगी या सेवा की समाप्ति के कारण सेवा में नहीं रह गए हैं, वे अपने विकल्प पर उस पीठ के पंजीयक के पास एक आवेदन दायर कर सकते हैं, जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति आवेदन दायर करने के समय सामान्य रूप से रह रहा है।

5. अधिनियम की धारा 25 के तहत न्यायाधिकरण की एक पीठ के समक्ष लंबित मूल आवेदन को दूसरी पीठ में स्थानांतरित करने की अध्यक्ष की शक्ति के बारे में कोई विवाद नहीं है। उक्त प्रावधान के अवलोकन से पता चलेगा कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की किसी भी पीठ के समक्ष किसी भी आवेदन का एक पक्ष इस तरह के स्थानांतरण के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के समक्ष एक अलग आवेदन करने का वैधानिक रूप से हकदार है। मूल आवेदन के हस्तांतरण पर

दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य विशेष उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र और न्यायिक अधीक्षण की शक्ति के भीतर आने वाले न्यायाधिकरण की एक विशेष पीठ के समक्ष लंबित, नई दिल्ली में प्रधान पीठ के लिए जो निम्नलिखित क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर है -

दिल्ली उच्च न्यायालय, स्थानांतरण के आदेश के खिलाफ चुनौती के मामले में रखरखाव का सवाल उठ सकता है। अगर अध्यक्ष प्रधान पीठ में बैठते हैं तो एक और उच्च न्यायालय सामने आ सकता है।

ओ. ए. को प्रधान पीठ की फाइल में नहीं, बल्कि एक अन्य उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आने वाली दूसरी पीठ में स्थानांतरित कर दिया गया। यह ध्यान देने योग्य है कि न्यायाधिकरण के अध्यक्ष भी एक आदेश पारित कर सकते हैं

प्रधान न्यायपीठ के अलावा किसी अन्य न्यायपीठ में बैठते समय मूल आवेदन का हस्तांतरण। अधिनियम की धारा 5 (4) (ए) के तहत प्रावधानों को देखते हुए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, जो इस प्रकार हैः

" एस. 5. न्यायाधिकरणों और उनकी पीठों की संरचना। - (1) .....

(2) .....

(3) .....

(4) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी,

अध्यक्ष-भारत संघ बनाम। अलपन बंद्योपाध्याय

[सी. टी. रविकुमार, जे.]

(क) न्यायपालिका के कार्यों का निर्वहन करने के अलावा सदस्य या उस पीठ का प्रशासनिक सदस्य जिसमें वह नियुक्त किया जाता है, न्यायिक सदस्य के कार्यों का निर्वहन करता है।

या, जैसा भी मामला हो, किसी के प्रशासनिक सदस्य

अन्य बेंच; "

6. यदि न्यायाधिकरण की किसी विशेष पीठ के समक्ष अधिनियम की धारा 19 के तहत एकल मूल आवेदन दायर करने के लिए एक साथ शामिल होने वाले कुछ आवेदकों ने इसके हस्तांतरण के आदेश को चुनौती देने का विकल्प चुना है, तो अधिकार क्षेत्र के मुद्दे का सवाल और जटिल हो सकता है।

अधिनियम की धारा 25 के तहत, विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष, उनके निवास स्थानों के आधार पर। ऐसी स्थिति संभव है और नहीं भी हो सकती। प्रक्रिया नियमों के नियम 4 (5) (ए) और (बी) के तहत प्रावधानों द्वारा जाने से इनकार किया जाएगा, जो इस प्रकार हैं:

" नियम 4. आवेदन जमा करने की प्रक्रिया। -

4 (5) (क) उप-नियम (1) से (3) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, न्यायाधिकरण एक से अधिक व्यक्तियों को एक साथ शामिल होने और एक ही आवेदन दायर करने की अनुमति दे सकता है, यदि यह संतुष्ट हो, तो राहत के कारण और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कि उनके पास एक सामान्य अनुरोध है।

मामले में रुचि।

4 (5) (ख) एकल आवेदन में शामिल होने के इच्छुक व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ को भी ऐसी अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि आवेदन उस वर्ग/श्रेणी/श्रेणियों या व्यक्तियों का खुलासा करेगा जिनकी ओर से इसे दायर किया गया है।

[बशर्ते कि कम से कम एक प्रभावित व्यक्ति इस तरह से शामिल हो

आवेदन] "।

इस अपील में समाधान की मांग करने वाले प्रश्न पर विचार करते समय उपरोक्त सभी पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू को भी ध्यान में रखा जा सकता है, जिसका अर्थ है कि अधिनियम की धारा 19 के तहत मूल आवेदन दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण निवारण है।

ऐसी याचिका को उस पीठ से स्थानांतरित करने के आदेश को चुनौती देने के लिए कोई शिकायत और कार्रवाई का कारण, जहां यह दायर किया गया था और लंबित था, अलग और विशिष्ट है। धारा 19 के तहत किसी भी आदेश के खिलाफ मूल आवेदन दायर करने का स्थान कार्रवाई के कारण का गठन करने वाले तथ्यों के बंडल पर निर्भर करेगा जो अंततः उक्त आदेश में समाप्त हुआ जिसे आक्षेपित किया जाना चाहिए। धारा 19 (1) का स्पष्टीकरण उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए 'आदेश' शब्द के अर्थ को परिभाषित करता है। दूसरी ओर, आदेश [2022] 16 एस. सी. आर. को चुनौती देने के लिए कार्रवाई का कारण।

स्थानांतरण के लिए अनुरोध को अस्वीकार करने वाला स्थानांतरण/आदेश और कुछ नहीं बल्कि न्यायाधिकरण की उस विशेष पीठ की फाइलों से लंबित मूल आवेदन के हस्तांतरण के लिए स्वतंत्र आवेदन में पारित एक आदेश है, जहां इसे अधिनियम की धारा 25 के तहत शक्ति के आह्वान या अनिच्छा में दूसरी पीठ में दायर किया गया था।

7. हमने अपीलार्थी की ओर से विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता और प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी को सुना है। दोनों पक्षों ने विवादित फैसले से संबंधित अपने-अपने रुख को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न अधिकारियों पर भरोसा किया। विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि इसके खिलाफ एक चुनौती केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली की प्रधान पीठ द्वारा 2021 में पारित आदेश केवल दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष बनाए रखने योग्य था क्योंकि न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ इसके अंतर्गत आती है।

क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार। उक्त तर्क को पुष्ट करने के लिए एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ मामले में इस न्यायालय की एक संवैधानिक पीठ के फैसले पर भरोसा किया जाता है, जिसकी रिपोर्ट (1997) 3 एस. सी. सी. 261 में दी गई है। इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के निर्णयों पर न्यायिक पर्यवेक्षण का प्रयोग करने की उच्च न्यायालय में निहित शक्ति भी संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायाधिकरणों के निर्णय अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

संविधान, उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष, जिसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में विशेष न्यायाधिकरण आता है। विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने अधिनियम की धारा 5 (7) का भी उल्लेख किया जो अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, केंद्र की पीठों को प्रदान करता है।

P.T.No.215/2021। भारत संघ बनाम ए. शैनामोल, आई. ए. एस. और ए. एन. आर. में निर्णय पर निर्भर करते हुए। , (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 962 में प्रतिवेदित, यह तर्क दिया गया है कि किसी निश्चित स्थान पर आवेदक का मात्र निवास अधिकार क्षेत्र प्रदान करने वाली कार्रवाई का कारण नहीं होगा। उस स्थान पर स्थित न्यायाधिकरण की पीठ। निस्सन्देह, यह विवाद केवल एक मूल की रखरखाव को चुनौती देने के लिए प्रासंगिक है।

सॉलिसिटर जनरल ने जे. के. इंडस्ट्रीज में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम भारत संघ और अन्य। , (2007) 13 एस. सी. सी. 673 में भारत संघ v.

अलपन बंद्योपाध्याय [सी. टी. रविकुमार, जे.]

यह तर्क देते हुए कि प्रक्रिया नियमों के नियम 6 की उच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या नहीं की जानी चाहिए थी ताकि अधिनियम की धारा 25 के तहत एक मामले को स्थानांतरित करने के लिए अध्यक्ष की अधिकारिता को छीन लिया जा सके क्योंकि व्याख्या का मूल सिद्धांत यह है कि एक क़ानून के तहत बनाया गया नियम मूल क़ानून के किसी प्रावधान को ओवरराइड या प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। हमारे अनुसार उक्त निर्णय और उक्त निर्णय पर आधारित विवाद केवल हस्तांतरण के आदेश की शुद्धता तय करने के उद्देश्य से प्रासंगिक हैं।

अधिनियम की धारा 25 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ द्वारा पारित किया गया न कि अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालय का निर्णय लेने के लिए

अदालत ने P.T.No.215/2021 में आदेश को रद्द कर दिया। 8. अपीलार्थी को यह भी शिकायत मिली कि उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ विवादित फैसले में कुछ कठोर या अपमानजनक टिप्पणी की है।

न्यायाधिकरण के अध्यक्ष। विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि वे अवांछित थे और अपने निष्कासन की आवश्यकता पर जोर देने के लिए विभिन्न निर्णयों पर भरोसा करते थे। फिर भी, हम समझते हैं कि ऐसे निर्णयों के आधार पर ऐसी सभी दलीलों पर विचार करना अनावश्यक है क्योंकि प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने निष्पक्ष रूप से कहा कि वह उस मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे और निर्णय लेने के लिए इसे हम पर छोड़ दिया। जाहिर है, उच्च न्यायालय ने P.T.No.215/2021 के निपटारे के मामले में अनुचित जल्दबाजी पाई और इसने उच्च न्यायालय को वास्तव में न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ के खिलाफ इस तरह की तीखी टिप्पणियाँ और टिप्पणियां करने के लिए भी राजी किया। लेकिन फिर, अभिलेख पर सामग्री के अवलोकन से पता चलता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष दायर डब्ल्यू. पी. सी. टी. No.78/2021 भी लगभग समान गति से पारित किया गया था। इसके अलावा, दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा क्रमशः P.T.No.215/2021 में आदेश और WPCT No.78/2021 में अंतिम निर्णय और आदेश दोनों पारित किए गए थे। तथ्य यह है कि विवादित निर्णय में टिप्पणियाँ और टिप्पणियां हैं जो अपमानजनक हैं और इस तरह, प्रभाव में कठोरता विवाद में नहीं है। हम इस निर्णय में उल्लिखित परिस्थितियों में उन्हें पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं समझते हैं। हालाँकि, प्रासंगिक रूप से ब्रज किशोर ठाकुर बनाम में इस न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ 11 से 13 का उल्लेख करना उचित होगा। भारत संघ (ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 1157)। यह इस प्रकार आयोजित किया गया थाः

" 11. प्रशासन को इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं हो सकता है

न्याय और न्यायिक संस्थानों में लोगों के विश्वास के लिए जब उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश सार्वजनिक रूप से न्याय में विश्वास की कमी व्यक्त करते हैं

अधीनस्थ न्यायाधीश। यह बार-बार कहा गया है कि असंयमित भाषा का उपयोग करने से और [2022] 16 एस. सी. आर. तक न्यायपालिका का सम्मान हाथों में नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निचली न्यायपालिका के खिलाफ आक्षेप लगाना। यह याद रखना अच्छा है

कि एक न्यायिक अधिकारी जिसके खिलाफ निर्णय में आक्षेप किए गए हैं, अपने आदेश का बचाव करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकता है। इसलिए, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को अधिक न्यायिक संयम बरतना चाहिए और जब वे निचली न्यायपालिका के खिलाफ कठोर शब्दों का प्रयोग करने के लिए लुभाए जाते हैं तो अधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

निर्णय बाहरी विचारों पर आधारित था) कठोर भाषा का उपयोग करने के खिलाफ अत्यधिक न्यायिक संयम अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया और निचली न्यायपालिका के खिलाफ भ्रष्ट उद्देश्यों का आरोप "क्योंकि जिस न्यायाधीश के खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं, उनके पास अपनी स्थिति को सही साबित करने के लिए कानूनी रूप से कोई उपाय नहीं है" [ईश्वरी प्रसाद मिश्रा बनाम। मोहम्मद ईसा, (1963) 3 एससीआर 722: (ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1728)]। इस न्यायालय को बाद के अवसरों पर ऐसे शब्दों को दोहराना पड़ा

भी। केपी तिवारी बनाम एम. पी. राज्य, ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 1031, इस न्यायालय को उच्च न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश की कुछ टिप्पणियों का पता चला, जिसमें अधीनस्थ न्यायपालिका के एक न्यायाधीश के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई थी और न्यायालय ने इस अवसर का उपयोग सभी संबंधित लोगों को याद दिलाने के लिए किया कि असंयमित भाषा का उपयोग करना और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर सख्त कार्रवाई करना।

निचले स्तरों से न्यायपालिका में जनता का सम्मान कम होगा। इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों को इसमें दोहराने की आवश्यकता है।

" उच्च न्यायालयों को हर दिन निचले न्यायालयों के ऐसे आदेश मिलते हैं जो कानून या वास्तव में उचित नहीं हैं और उनमें संशोधन किया जाता है या उन्हें अलग रख दें। यह उच्च न्यायालयों के कार्यों में से एक है। हमारी कानूनी प्रणाली न्यायाधीशों की त्रुटि को स्वीकार करती है और इसलिए अपील और संशोधन का प्रावधान करती है। एक न्यायाधीश अपनी क्षमता के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का प्रयास करता है। ऐसा करते समय, कभी-कभी, उसके गलती करने की संभावना होती है।

यह भी याद रखना चाहिए कि निचले न्यायिक अधिकारी ज्यादातर एक आवेशपूर्ण वातावरण में काम करते हैं और सभी प्रतियोगियों और उनके वकीलों के साथ लगातार मनोवैज्ञानिक दबाव में रहते हैं, जो लगभग अपनी गर्दन से अधिक सही तरीके से सांस लेते हैं।

नासिकाएँ। उन्हें शांत होकर सोचने और धैर्यपूर्वक निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालयों के उदासीन वातावरण का लाभ नहीं मिलता है।

त्रुटि, हालांकि, स्थूल लग सकती है, इसलिए, अनुचित उद्देश्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।

13. हाल ही में, काशी नाथ रॉय बनाम में हमें अलग-अलग शब्दों में एक ही बात कहना पड़ी। बिहार राज्य (1996) 4 जेटी (एससी) 605: (1996 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 2098) एक समान स्थिति में। फिर हमने इस प्रकार कहा (आकाशवाणी का पैरा 7): " यह नहीं भुलाया जा सकता है कि हमारी प्रणाली में, अन्य जगहों की तरह, अपीलीय और पुनरीक्षण न्यायालयों की स्थापना इस पूर्व-धारणा पर की गई है कि

निचली अदालतें कुछ मामलों में गलत साबित होंगी निर्णय लेना, तथ्यों और कानून दोनों पर, और वे उन आदेशों को सही करने के लिए बुने गए हैं। मानवीय तत्व, एक महत्वपूर्ण तत्व होने के कारण, न्यायालयों से कंप्यूटर जैसी कार्यप्रणाली की उम्मीद नहीं की जा सकती हैः हालाँकि, वे कोशिश कर सकते हैं और खुद को पूर्ववर्ती बनाए रख सकते हैं-विवेक के दायरे में और निर्णय लेने के तरीके से। जब भी किसी उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी किसी असहनीय त्रुटि का पता लगाया जाता है या उसे इंगित किया जाता है, तो कार्यात्मक रूप से उस त्रुटि को ठीक करने की आवश्यकता होती है और इसमें, यहाँ और वहाँ,

उचित मामला, और उचित तरीके से, न्यायालय की गरिमा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए, एक प्रक्रिया के माध्यम से संबंधित अधिकारी को अपने निर्णय में अपना संदेश देता हैः

तर्क, अनिवार्य रूप से प्रेरक, उचित, मधुर लेकिन स्पष्ट,

और परिणाम-उन्मुख, लेकिन शायद ही कभी एक फटकार के रूप में। की तीव्र प्रतिक्रिया

पूर्व में प्रदर्शित प्रकार-निष्कर्षण के अनुरूप नहीं है

संस्थागत कार्यप्रणाली। यह आधार कि एक न्यायाधीश ने सहिष्णुता की सीमाओं से परे एक गलती या त्रुटि की है, न्यायाधीश पर निंदा करने का कोई आधार नहीं है-अधीनस्थ, जब तक कि अस्तित्व में न हो।

कुछ और और असाधारण आधारों के लिए। परिस्थितियों और स्थितियों की हमारी सावधानीपूर्वक जाँच पर

इस मामले में प्राप्त हमें यह सोचने के लिए राजी किया जाता है कि न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ के खिलाफ तीखी और अपमानजनक टिप्पणी और टिप्पणियां करने के लिए मामले में कोई असाधारण आधार (ओं) मौजूद नहीं है। साथ ही, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त आदेश, वास्तव में, न्यायाधिकरण के अध्यक्ष द्वारा एक औपचारिक आवेदन पर पारित किया गया था

अपीलार्थी इसमें और दोनों पक्षों को सुनने के बाद। कानून के मामले में अध्यक्ष अधिनियम की धारा 25 के तहत स्थानांतरण का आदेश पारित कर सकते हैं। सुओ मोटो। अतः, उक्त टिप्पणियां और टिप्पणियां, लगातार, न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के खिलाफ नहीं की जानी चाहिए थीं। संयम का पालन करने के लिए, हम कहते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी [2022] 16 एस. सी. आर. थी।

अनुचित, अनावश्यक और टालने योग्य तीखी प्रतिक्रिया होना निराधार धारणाएँ। इसलिए, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि वे हस्तांतरण के क्रम की शुद्धता या अन्यथा तय करने के उद्देश्य से पूरी तरह से अनावश्यक थे। अतः उन्हें निष्कासित किया जा सकता है।

हम ऐसा करते हैं।

9. अब, हम डब्ल्यू. पी. सी. टी. में विवादित निर्णय और अंतिम आदेश का समर्थन करने और उसे बनाए रखने के लिए प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा दी गई दलीलों का विज्ञापन करेंगे।

No.78/2021 जिसके तहत P.T.No.215/2021 में आदेश को अलग कर दिया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय डब्ल्यू. पी. सी. टी. No.78/2021 का मनोरंजन करने में उचित है क्योंकि P.T.No.215/2021 में पारित स्थानांतरण का आदेश इसकी न्यायिक अधीक्षण की शक्ति के भीतर आता है। आगे का तर्क यह है कि यह हो सकता है

यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिनियम की धारा 25 के तहत शक्ति केवल इसलिए छीन ली गई थी क्योंकि प्रक्रिया नियमों के नियम 6 पर P.T.No.215/2021 में आदेश को पलटने के लिए भरोसा किया गया था। विद्वान सलाह, हमारे चित्र बनाने के बाद मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर ध्यान देते हुए, यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति का सही उपयोग किया था और अधिनियम की धारा 25 के तहत शक्ति के आह्वान में न्यायाधिकरण के अध्यक्ष (न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ) द्वारा पारित स्थानांतरण के आदेश की शुद्धता पर गौर किया था। उक्त तर्क मुख्य रूप से है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 (2) पर स्थापित जो शक्तियाँ प्रदान करता है उच्च न्यायालय पर उन क्षेत्रों के संबंध में जिनके भीतर कार्रवाई का मामला पूरी तरह से या आंशिक रूप से उत्पन्न होता है और कुसुम इंगोट्स एंड अलॉयज लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य मामलों में निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा तय की गई स्थिति पर भी। (2004) 6 एस. सी. सी. 254, नवल किशोर शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य में। (2014) 9 एस. सी. सी. 329 और नवीनचंद्र एन. मजीठिया बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य। (2000) 7 एससीसी 647। निर्णयों का संग्रह /

प्रत्यर्थी की ओर से लिखित प्रस्तुतियों के साथ अधिनियम की धारा 25 के तहत आदेश भी प्रस्तुत किए गए हैं

तर्क कि स्थानांतरण आदेश अवैध, मनमाना था, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए और अप्रासंगिक विचारों पर पारित किया गया था। हम जल्दबाजी में यह नोट कर सकते हैं कि एक को छोड़कर वे सभी निर्णय/आदेश। , 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 11541 (भावेश मोतियानी बनाम. भारत संघ), अधिनियम की धारा 25 के तहत शक्ति के प्रयोग में लंबित मूल आवेदनों के हस्तांतरण के लिए आवेदनों को खारिज करते हुए न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ द्वारा पारित किया गया था। इसलिए, वे बताए गए विवादास्पद प्रश्न को तय करने में महत्वपूर्ण नहीं हैं। हम भावेश मोतियानी के मामले का उल्लेख कुछ समय बाद करेंगे।

10. हमने इसके उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा रखते हुए प्रतिवादी की ओर से उठाए गए तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है।

अदालत। कुसुम इंगोट्स के मामले (ऊपर) में, सवाल यह था कि "क्या संसद की सीट निर्धारित करने के लिए एक प्रासंगिक कारक होगी

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका पर विचार करने के लिए एक उच्च न्यायालय की क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार जब एक की संवैधानिकता

संसदीय अधिनियम चुनौती के दायरे में है। संविधान के अनुच्छेद 226 (2) के संदर्भ में, एक रिट याचिका पर विचार करने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के लिए "कार्रवाई का कारण" अभिव्यक्ति का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

" 18. रिट याचिका में बताए गए तथ्यों में एक सांठगांठ होनी चाहिए जिसके आधार पर प्रार्थना की जा सकती है। जिन तथ्यों का उसमें की गई प्रार्थना से कोई लेना-देना नहीं है, उन्हें कार्रवाई के कारण को जन्म देने के लिए नहीं कहा जा सकता है जो न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान करेगा।

19. हमारी राय में अपने आप में किसी कानून को पारित करना रिट याचिका दायर करने का ऐसा कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है जब तक कि कार्रवाई का कोई कारण उत्पन्न न हो।

इसके लिए।

21. एक संसदीय विधान जब भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करता है और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होता है, जब तक कि विशेष रूप से शामिल नहीं किया जाता है, तो यह भारत के पूरे क्षेत्र में लागू होगा। यदि किसी कानून के पारित होने से कार्रवाई का कारण बनता है, तो उसकी संवैधानिकता पर सवाल उठाने वाली रिट याचिका किसी भी उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। देश का न्यायालय। ऐसा इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि कार्रवाई का कारण केवल तभी उत्पन्न होगा जब अधिनियम के प्रावधान या उनमें से कुछ जो लागू किए गए थे, नागरिक या बुरे परिणामों को जन्म देंगे।

याचिकाकर्ता को। एक रिट अदालत, जो अच्छी तरह से स्थापित है, यह निर्धारित नहीं करेगी

एक शून्य में एक संवैधानिक प्रश्न "।

11. नवल किशोर के मामले में, संबंधित मुद्दा सम्मान के साथ था

अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले किसी प्राधिकारी/व्यक्ति के खिलाफ किसी विशेष उच्च न्यायालय की अधिकार क्षेत्र में। उस प्रश्न पर संविधान के अनुच्छेद 226 (2) के संदर्भ में विचार किया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि रिट जारी किया जा सकता है यदि कार्रवाई का कारण पूरी तरह या आंशिक रूप से संबंधित उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ हो, भले ही वह व्यक्ति या प्राधिकरण जिसके खिलाफ रिट की मांग की गई हो, उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थित हो। हालाँकि, यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस तरह के एक रिट [2022] को बनाए रखने के लिए 16 एस. सी. आर.

याचिका में याचिकाकर्ता को यह स्थापित करना था कि ऐसे उत्तरदाताओं ने उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर अपने कानूनी अधिकारों का उल्लंघन किया है। नवीन चंद्र एन. मजीठिया के मामले में, फिर से अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर संविधान के अनुच्छेद 226 (2) के संदर्भ में विचार किया गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि संबंधित उच्च न्यायालय के पास एक रिट याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा यदि कार्रवाई के कारण का कोई भी हिस्सा उसकी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर उत्पन्न होता है, भले ही सरकार या प्राधिकरण या व्यक्तियों का निवास स्थान जिसके खिलाफ निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की मांग की जाती है, उसके क्षेत्र के भीतर नहीं है।

12. उत्तरदाता द्वारा उपरोक्त निर्णयों की सावधानीपूर्वक जांच करने और प्रश्न की प्रकृति पर विचार करने पर जो आवश्यक है।

हाथ में मामले में निर्णय के लिए और जो हमने पहले देखा है, हम पाते हैं कि उपरोक्त निर्णयों में बताए गए विवादास्पद प्रश्न को तय करने के लिए कोई प्रयोज्यता नहीं है। हम मामले पर आगे विचार करने के क्रम में उन निर्णयों की गैर-प्रयोज्यता के बारे में विस्तार से बताएंगे। हम इस निर्णय में न्यायाधिकरण की कोलकाता पीठ के समक्ष O.A.No.1619/2021 दाखिल करने के लिए कार्रवाई के कारण पर विचार नहीं कर रहे हैं। भले ही उक्त ओ. ए. दाखिल करने के लिए कार्रवाई का कारण बनने वाले तथ्यों का बंडल न्यायाधिकरण की कोलकाता पीठ को इस पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है, लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या इसका हस्तांतरण उक्त पीठ से प्रधान पीठ ने अधिनियम की धारा 25 के तहत शक्तियों के आह्वान में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (प्रधान पीठ) के अध्यक्ष द्वारा 2021 में 20.10.2021 दिनांकित आदेश के माध्यम से कलकत्ता में उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र और अधीक्षण की शक्ति के भीतर आता है और WPCT No.78/2021 दिनांक 29.10.2021 में आदेश के खिलाफ चुनौती का भाग्य उसके जवाब पर निर्भर करेगा। हम जल्दबाजी में यह बता सकते हैं कि यदि रिट याचिका में चुनौती न्यायाधिकरण की कोलकाता पीठ द्वारा O.A.No में पारित आदेश के खिलाफ थी। 1619/2021 कलकत्ता में उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता है।

13. अधिनियम की धारा 25 के अनुसार, यहां पहले निकाला गया है, एक मूल आवेदन के हस्तांतरण के लिए एक स्वतंत्र आवेदन दायर किया गया है और

न्यायाधिकरण की किसी भी पीठ के समक्ष लंबित याचिका दायर की जा सकती है और स्थानांतरण की शक्ति अध्यक्ष के पास होती है। धारा यह आदेश देती है कि यदि ऐसा आवेदन किया जाता है, तो इसकी सूचना विरोधी पक्ष को दी जानी चाहिए। साथ ही, धारा में यह भी प्रावधान है कि अध्यक्ष अपने प्रस्ताव पर और ऐसी किसी सूचना के बिना पहले से लंबित किसी भी मामले को स्थानांतरित कर सकता है।

न्यायाधिकरण की किसी अन्य पीठ को निपटान के लिए एक पीठ।

स्पष्ट रूप से, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम। अलपन बंद्योपाध्याय [सी. टी. रविकुमार, जे.]

उक्त धारा न्याय और निष्पक्षता के मौलिक सिद्धांतों को मान्यता देती है, अर्थात् 'न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि यह देखा जाना चाहिए कि किया गया है'। यह सभापति को पक्षपात के 'उचित संदेह' या 'वास्तविक संभावना' को टालने में सक्षम बनाएगा। इसका प्रयोग किसी अन्य पर्याप्त और टिकाऊ आधार को स्थापित करने पर भी किया जा सकता है। इस शक्ति का उपयोग बड़ी सावधानी और संयम के साथ किया जाना चाहिए। हम इस मुद्दे पर विस्तार से विस्तार करने की आवश्यकता नहीं समझते हैं क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि हम अपने विचार को केवल इस विशिष्ट प्रश्न तक सीमित कर रहे हैं कि क्या कलकत्ता में उच्च न्यायालय के पास P.T.No.215/2021 में आदेश के खिलाफ चुनौती को स्वीकार करने का अधिकार क्षेत्र था।

14. विवादास्पद प्रश्न में आगे जाने से पहले हम यह जानने के लिए कि किस तरीके से विवादित निर्णय का उल्लेख करना उचित समझते हैं।

P.T.No.215/2021 में पारित स्थानांतरण के आदेश को उच्च न्यायालय ने समझा। दूसरे शब्दों में, क्या उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय पारित करते समय अपने समक्ष आक्षेपित आदेश को न्यायाधिकरण की कोलकाता पीठ के समक्ष लंबित एक आदेश के रूप में माना जो न्यायाधिकरण की उस पीठ द्वारा अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आता है या न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ में पारित एक आदेश के रूप में जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थित है, उस मूल आवेदन को न्यायाधिकरण की दूसरी पीठ को स्थानांतरित कर रहा है। विवादित आदेश की जांच से ही पता चलेगा कि उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू. पी. सी. टी. No.78/2021 में उसके समक्ष विवादित आदेश को पूरी तरह से समझा और माना, जो कि नई दिल्ली में न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ द्वारा पारित एक आदेश के रूप में O.A.No.1619/2021 को स्थानांतरित करने का आदेश था। यह, हमारी राय में, उक्त आदेश की सही समझ है, क्योंकि यह P.T.No.215/2021 में पारित किया गया था, जिसे अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया था, जो O.A.No.1619/2021 का एक पक्ष भी था, जिसमें प्रधान पीठ के समक्ष अधिनियम की धारा 25 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक आदेश का आह्वान किया गया था। यह पहलू बहुत

उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय के पैराग्राफ 22,23,24 और 25 से स्पष्ट करें। वे इस प्रकार पढ़ते हैं:

" 22. वर्तमान रिट याचिका पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिकता प्राप्त करने वाले प्रश्न इस प्रकार हैं: 23. क्या प्रधान पीठ द्वारा विवादित आदेश पारित किए जाने को देखते हुए वर्तमान रिट याचिका इस अदालत के समक्ष बनाए रखने योग्य है?

नई दिल्ली में स्थित है?

24. क्या प्रधान पीठ ने पारित करने में अपने अधिकार क्षेत्र से परे कार्य किया था?

विवादित आदेश?

2] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

25. क्या प्रधान पीठ, कैट ने गुण-दोष के आधार पर विवादित आदेश पारित करना कानूनी रूप से उचित था?

15. जब एक बार उच्च न्यायालय ने पाया कि आदेश प्रधान पीठ द्वारा पारित किया गया है, तो हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि

उच्च न्यायालय को सबसे पहले, प्रक्रिया नियमों के नियम 6 (2) में निर्दिष्ट कार्रवाई के कारण पर स्थापित न्यायाधिकरण की कोलकाता पीठ के समक्ष कार्रवाई के कारण का गठन करने वाले तथ्यों के बंडल के संदर्भ के बिना, सही परिप्रेक्ष्य में प्रधान पीठ द्वारा 2021 में पारित आदेश पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अपने स्वयं के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का निर्णय करने के लिए अपने विचार को सीमित करना चाहिए था। ऐसे में

नई दिल्ली में न्यायाधिकरण के प्रधान पीठ पर धारा 25 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश की न्यायिक समीक्षा करने में हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि कलकत्ता में उच्च न्यायालय रिट याचिका पर विचार नहीं कर सकता था। 16. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि O.A.No.1619/2021 के हस्तांतरण के आदेश को P.T.No.215/2021 में पारित किया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ द्वारा पारित आदेश के रूप में समझा और निपटा गया था। अधिनियम की धारा 5 (7) यह स्पष्ट करती है कि नई दिल्ली में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की पीठ को प्रधान पीठ के रूप में जाना जाता है। इसमें यह

संदर्भ और प्रासंगिक कारकों के साथ-साथ विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा परस्पर विरोधी निर्णयों का कारण बनने की संभावना वाली स्थितियों को भी इस निर्णय के पूर्ववर्ती पैराग्राफ में पहले संदर्भित किया गया है कि

एल. चंद्र कुमार के मामले में अदालत प्रासंगिकता मानती है। इससे पहले, हमने उक्त निर्णय में निर्धारित कानून के बारे में एक संक्षिप्त संदर्भ दिया था। संविधान पीठ द्वारा विचार किए गए व्यापक मुद्दों में से एक इस प्रकार थाः

" चाहे संसद को दी गई शक्ति हो या राज्य को

विधायिकाएँ, जैसा भी मामला हो, अनुच्छेद 323 ए के खंड (2) के उपखंड (डी) या संविधान के अनुच्छेद 323 बी के खंड (3) के उपखंड (डी) द्वारा सभी न्यायालयों की अधिकारिता को पूरी तरह से बाहर करने के लिए, भारत संघ v.

अलपन बंद्योपाध्याय [सी. टी. रविकुमार, जे.]

अनुच्छेद 136 के तहत उच्चतम न्यायालय को छोड़कर, अनुच्छेद 323 ए के खंड (1) में निर्दिष्ट विवादों और शिकायतों के संबंध में या अनुच्छेद 323 बी के खंड (2) में निर्दिष्ट सभी या किसी भी मामले के संबंध में, न्यायिक समीक्षा की शक्ति के विपरीत है।

अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालयों और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया? इस तरह के विचार के दौरान अधिनियम की धारा 28 की संवैधानिक वैधता, "अधिकार क्षेत्र के बहिष्करण" खंड पर भी विचार किया गया था।

अदालत। वह इस प्रकार हैः एस. 28. संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत उच्चतम न्यायालय को छोड़कर न्यायालयों की अधिकारिता का बहिष्करण। - जिस तारीख से कोई अधिकार क्षेत्र, शक्तियाँ और प्राधिकरण प्रयोग करने योग्य हो जाता है

इस अधिनियम के तहत एक न्यायाधिकरण द्वारा भर्ती के संबंध में और किसी भी सेवा या पद या सेवा मामलों में भर्ती से संबंधित मामलों में किसी भी सेवा के सदस्यों या किसी भी सेवा में नियुक्त व्यक्तियों से संबंधित मामलों में

सेवा या पद, [इसके अलावा कोई अदालत नहीं -

((क) उच्चतम न्यायालय; या

(ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) या उस समय लागू किसी अन्य संबंधित कानून के तहत गठित कोई औद्योगिक न्यायाधिकरण, श्रम न्यायालय या अन्य प्राधिकरण,

किसी भी अधिकार क्षेत्र, शक्तियों का अधिकार होगा या प्रयोग करेगा या

ऐसी भर्ती या संबंधित मामलों के संबंध में प्राधिकरण ऐसी भर्ती या ऐसी सेवा के मामले।

अपनाए गए तर्क को ध्यान में रखते हुए संविधान पीठ ने फैसला सुनाया

अधिनियम के 28 और अनुच्छेद 323 ए और 323 बी के तत्वावधान में अधिनियमित अन्य सभी अधिनियमों में "अपवर्जन क्षेत्राधिकार" खंडों पर,

टी वे अनुच्छेदों के तहत उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बाहर करते हैं

227 और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 323 ए के खंड 2 (डी) को अभिनिर्धारित करने के अलावा असंवैधानिक ठहराया।अनुच्छेद 323 बी का खंड 3 (डी), उसी हद तक, असंवैधानिक है।

एर, यह इस प्रकार आयोजित किया गया थाः

" अनुच्छेदों के तहत उच्च न्यायालयों को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र

226/227 और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय पर

संविधान हमारी अलंघनीय बुनियादी संरचना का हिस्सा है।

संविधान। जबकि इस अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं किया जा सकता है, अन्य न्यायालय और न्यायाधिकरण संविधान के अनुच्छेद 1 और 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के निर्वहन में पूरक भूमिका निभा सकते हैं।

2] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान के अनुच्छेद 323 ए और अनुच्छेद 323 बी के तहत बनाए गए न्यायाधिकरण संविधान में परीक्षण करने की क्षमता है

वैधानिक प्रावधानों और नियमों की संवैधानिक वैधता। सभी निर्णय

हालाँकि, इन न्यायाधिकरणों में से एक के समक्ष जांच का विषय होगा

उच्च न्यायालय की खंड पीठ जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित न्यायाधिकरण गिरता है "।

(जोर दिया गया)।

जब एक बार इस अदालत की संविधान पीठ ने कानून घोषित किया था

कि "संविधान के अनुच्छेद 323 ए और अनुच्छेद 323 बी के तहत बनाए गए न्यायाधिकरणों के सभी निर्णय उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष जांच के अधीन होंगे, जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित न्यायाधिकरण आता है", उक्त मुद्दे पर आगे कोई निर्माण करने की अनुमति नहीं है। संविधान पीठ द्वारा उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति "इन न्यायाधिकरणों के सभी निर्णय" न्यायाधिकरण की एक पीठ से मूल आवेदनों को दूसरी पीठ में स्थानांतरित करने के मामले में आवेदनों पर या अन्यथा पारित अपने व्यापक आदेशों को शामिल करेगी और उसके भीतर ले जाएगी।

अधिनियम की धारा 25 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायाधिकरण। दूसरे शब्दों में, अधिनियम की धारा 25 के तहत पारित निर्णय सहित ऐसे न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय की जांच केवल उस उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष की जा सकती है, जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित न्यायाधिकरण आता है। मूल आवेदन के हस्तांतरण के आदेश के खिलाफ चुनौती देने के उद्देश्य से अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय का निर्णय लेते समय कानून के इस स्पष्ट स्पष्टीकरण का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए।

अधिनियम की धारा 25 के आह्वान में न्यायाधिकरण की एक पीठ से दूसरी पीठ। इस प्रकार संविधान पीठ द्वारा घोषित कानून पर कम गणपूर्ति वाली पीठ द्वारा या उस मामले के लिए उच्च न्यायालयों द्वारा तथ्यों के समूह को देखकर यह पता लगाने के लिए पुनर्विचार नहीं किया जा सकता है कि क्या वे संविधान के अनुच्छेद 226 (2) के दायरे में उच्च न्यायालय को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र प्रदान करेंगे। हमारा विचार है कि दूसरा दृष्टिकोण रखने से निस्संदेह अनिश्चितता और अनिश्चितता पैदा होगी।

अधिनियम की धारा 25 के तहत पारित निर्णय पर सवाल उठाए जाने की स्थिति में अधिकार क्षेत्र के मामले में बहुलता, विशेष रूप से विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले कई पक्षों से जुड़े मामलों में, भले ही नई दिल्ली में प्रधान पीठ में अध्यक्ष द्वारा पारित एक सामान्य आदेश से व्यथित हो।

17. इस मामले में निर्विवाद और निर्विवाद स्थिति यह है कि

डब्ल्यू. पी. सी. टी. No.78/2021 को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के P.T.No.215/2021 में दिनांकित 22.10.2021 के आदेश को चुनौती देने के लिए दायर किया गया था।

अलपन बंद्योपाध्याय [सी. टी. रविकुमार, जे.]

नई दिल्ली में, (प्रधान पीठ में बैठे अधिनियम की धारा 25 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायाधिकरण के अध्यक्ष द्वारा) स्थानांतरण इसकी फाइलों के लिए O.A.No.1619/2021। एल. चंद्र कुमार के मामले (उपरोक्त) में कानूनी स्पष्टीकरण के लिए उक्त तथ्यात्मक स्थिति को लागू करने पर यह स्पष्ट है कि नई दिल्ली में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ, जिसने P.T.No.215/2021 में आदेश के माध्यम से O.A.No.1619/2021 को स्थानांतरित करने का आदेश पारित किया, नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आती है। कहने की जरूरत नहीं है कि न्यायिक शक्ति

अधिनियम की धारा 25 के तहत न्यायाधिकरण की पीठ के समक्ष लंबित मूल आवेदन को दूसरी पीठ को स्थानांतरित करने के आदेश की समीक्षा की न्यायिक रूप से समीक्षा केवल उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा की जा सकती है, जिसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर इसे पारित करने वाली पीठ आती है। वास्तव में,

भावेश मोतियानी के मामले (ऊपर) में निर्णय, जिस पर प्रत्यर्थी ने भरोसा किया है, वह भी उक्त स्थिति के अनुरूप है, जैसा कि उस मामले में भी है। नई दिल्ली रिट याचिका में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ द्वारा अधिनियम की धारा 25 के तहत पारित स्थानांतरण का आदेश पीड़ित पक्ष द्वारा केवल दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था। यह उक्त निर्णय के शुरुआती वाक्य से ही स्पष्ट होता है, जो इस प्रकार हैः

" वर्तमान याचिका केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 30.11.2018 के आदेश से व्यथित होकर दायर की गई है। अहमदाबाद पीठ के समक्ष लंबित O.A.No.421/2018 द्वारा प्रधान पीठ, नई दिल्ली ('न्यायाधिकरण') को स्थानांतरित कर दिया गया है।

न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ को "।

तत्काल मामले में, कलकत्ता के उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर विचार करने के लिए अधिकार क्षेत्र को हड़प लिया है। , डब्ल्यू. पी. सी. टी. No.78/2021, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए, इस तथ्य पर ध्यान देने के बाद भी कि न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ इसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है।

18. इन परिस्थितियों में, हमारे निष्कर्ष के आधार पर कलकत्ता में उच्च न्यायालय द्वारा पारित डब्ल्यू. पी. सी. टी. No.78/2021 में विवादित निर्णय और अंतिम आदेश को बिना अधिकार क्षेत्र के पारित किया जाना है और इसलिए, यह शुरू से ही अमान्य है। तदनुसार, इसे अलग रखा जाता है। कलकत्ता में उच्च न्यायालय के समक्ष दायर डब्ल्यू. पी. सी. टी. No.78/2021 रिट याचिका तदनुसार है।

हालाँकि, इसमें याचिकाकर्ता/प्रतिवादी को अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालय के समक्ष हमला करने की स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दिया गया, यदि ऐसा सलाह दी जाती है। इस संबंध में, हम इस स्थिति को स्पष्ट करते हैं कि हमने 278 के आदेश की शुद्धता या अन्यथा के बारे में कोई निष्कर्ष या अवलोकन नहीं किया है।

न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ (वास्तव में, न्यायाधिकरण के अध्यक्ष द्वारा) द्वारा P.T.No.215/2021 में पारित किया गया। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी रिट याचिका दायर करने की स्थिति में, कानून के अनुसार, इसके गुण-दोष पर विचार किया जाएगा।

19. उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमति है। लंबित आवेदन बी, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

निधि जैन और अमरेंद्र कुमार (प्रज्ञा सामल, एलसीआरए द्वारा सहायता प्राप्त)